

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

भारत



INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

BL 083583

(q) To do all such things as are INCIDENTAL or conducive to the attainment of the above mentioned objects or any of them.

5. TRUSTS

That the Board of Trustees shall hold and stand possessed of the Trust Fund upon the following Trusts namely:-

(a) Collection of Income :

To manage the Trust Fund and to collect and recover interest, rent profits, gains and income thereof.

(b) payment of Incidental Expenses :

To pay and apply the same in the first instance, from time to time, towards payment of proper costs, charges and expenses of and incidental to the collection thereof and the moneys required for the repairs, maintenance, insurance, taxes, wages, and salaries of employees, out goings and other charges in any way related to or connected with the Trust Property and management of the Trust Fund



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

UPRADESH

(1)

BD 662014



TRUST DEED
OF
DIVINE EDUCATIONAL TRUST

THIS INSTRUMENT OF TRUST is made at Varanasi on this the 21st day of June in the Year 2017 BY:

Sant Narayan Singh Son of Late Udit Singh and resident of Shivdaspur Manduadih Varanasi-221103

- hereinafter for the sake of brevity referred to as "SETTLOR" (which expression, unless it be repugnant to the context or inconsistent either the meaning there of, be deemed to mean and include his heirs, successors, assigns and legal representatives)

IN FAVOUR OF:

1. Shri Vikash Singh : S/O Shri Sant Narayan Singh and resident of Shivdaspur Manduadih Varanasi-221103
2. SHRI Tej Pratap Singh : S/o Sant Narayan Singh and resident of Shivdaspur Manduadih Varanasi-221103

दाया
6983110000 @ Singh
220 P 50150
= 320L

OS
1002L

सेवा में,

प्रबन्धक,
डिवाइन सैनिक स्कूल
लखमीपुर, लोहता, वाराणसी।

पत्रांक: /मान्यता/ 4843-45

/2020-2021

दिनांक : 30 जुलाई, 2020

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31-12-2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं डिवाइन सैनिक स्कूल, लखमीपुर, लोहता, वाराणसी को तारीख 01-04-2020 से तारीख 31-03-2021 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यक्षीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

(क्रमशः...2)

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 0.125 हेक्टेअर
 - कुल निर्मित क्षेत्र - 125 एअर
 - क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल - पर्याप्त है।
 - कक्षाओं की संख्या - 05
 - प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिये कक्षा - 01
 - बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय - उपलब्ध है।
 - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
 - मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई -
 - बाधा रहित पहुँच - उपलब्ध है।
 - अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

शम्भू नाथ
(प्रधान सहायक)

भवदीय

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

उसी तिथि को।

पृ0सं0: /मान्यता/

/2019-2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी।

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AACTD7669J



नाम / Name

DIVINE EDUCATIONAL TRUST

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation

21/06/2017

23082017

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 083575

(16)

(s) Bringing and Defending Actions :

To institute, conduct, defend, compound, compromise or abandon any legal proceedings by or against the Trust or otherwise concerning the affairs of the Trust and to refer any claims or demands by or against the Trust to Arbitration and observe and perform any award made thereon ;

(t) Bye-Laws :

To make, amend, alter or repeal such schemes , arrangements, laws, bye-laws, rules and regulations for the effective administration and management of the Trust and its affairs as it may deem fit from time to time ;

(u) Amendment :

To amend any provisions of this Trust Deed.

(v) General :

To do such other acts and things as may be considered or calculated necessary, expedient or conducive to the attainment of the objects of Trusts whether or not the same is specified or enumerated or illustrated hereinabove.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 083574

(17)

9. PROCEEDINGS AT MEETINGS

(a) Chairman :

- (i) That Shri Sant Narayan Singh a Trustee of the Trust shall be the First Chairman and shall preside over all the meetings of Board of Trustees.
- (ii) In the event of absence of the Chairman in a particular meeting of the Board of Trustees, the members of the Board of Trustees present thereat may choose any one of them to preside over that meeting.

(b) Notice for Meetings :

- (i) A meeting of the Board of Trustees may be called by giving not less than 7(Seven) days notice in writing. However, in the event of an emergency, the meeting may be called after giving a shorter notice of 24 hours to all the Trustees for the time being.

(Signature)



प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

डिवाइन सैनिक स्कूल
लखमीपुर, लोहता, वाराणसी।

पत्रांक: / मान्यता /

27488-9

/ 2019-2020

दिनांक : 07 मार्च, 2020

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31-08-2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं डिवाइन सैनिक स्कूल, लखमीपुर, लोहता वाराणसी को तारीख 01-04-2020 से तारीख 31-03-2021 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के लिये अनन्तितम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
- | | |
|--|-----------------|
| ▪ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | - 14000 वर्गफीट |
| ▪ कुल निर्मित क्षेत्र | - 12000 वर्गफीट |
| ▪ क्रीडास्थल का क्षेत्रफल | - पर्याप्त है। |
| ▪ कक्षाओं की संख्या | - 06 |
| ▪ प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिये कक्षा | - 01 |
| ▪ बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय | - उपलब्ध है। |
| ▪ पेयजल सुविधा | - उपलब्ध है। |
| ▪ मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई | - |
| ▪ बाधा रहित पहुँच | - उपलब्ध है। |
| ▪ अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता- | है |
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

उसी तिथि को।

पृ0सं0: / मान्यता /

/ 2020-2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी।

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 083578

(13)

(h) Endowments :

To create, set up, maintain, manage and support or help Endowments, Trusts etc., whether set up and created by this Trust or otherwise, for fulfilment or achievement of any one or more of the objects of the Trust.

(i) Granting Donations :

To donate, whether in cash or in kind, any part of the Trust property to any Institution carrying out any one or more of the objects of the Trust on such terms and conditions as it may think fit.

(j) Granting Loans :

To grant Loans for any one or more of the purposes aforesaid and on such terms and conditions as it may think fit.

(k) Borrowings :

To borrow and raise money from a Scheduled Bank or Banks on the mortgage, hypothecation or pledge of the Trust Fund or any part thereof in such manner and on such terms and conditions as it may think fit.

(Signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 083580

(11)

8. POWER OF BOARD OF TRUSTEES

Without restricting the generality of the powers of the Board of Trustees, the Board of Trustees shall be deemed to be empowered:

(a) Holding of Properties :

To hold and be possessed of the Trust Fund and its properties;

(b) Donations :

To invite, raise, accept and receive donations, contributions, subscriptions, grants, gifts, benefactions etc. in cash or in kind or by way of movable or immovable properties for all or any of the objects of the Trust.

(c) Nature of Receipts :

To determine, in case of any ambiguity or doubt, whether any money or property received be considered as Capital or Income and whether out of the income or capital any expenses or outgoing shall be paid or borne;

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

BL 083579

(d) Immovable Properties :

To buy and acquire or sell and dispose of any immovable property on such terms and conditions as it may think fit from time to time;

(e) Investments :

To invest the Trust Fund and all moneys in their hands which may require investment in any mode or modes prescribed or permitted under the Income Tax Rules and other applicable laws ;

(f) Safe Custody of Documents :

To deposit Title Deeds, Securities, investments and other Documents relating to the Trust Fund or Trust property for safe custody in a scheduled bank or banks and to make the necessary arrangement for realisation of interest or other income on investments of the Trust through the bank

(g) Construction :

To construct, pull down, renovate, rebuild, improve, repair, maintain or insure any Immovable Property.

(Signature)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 083576

(15)

(n) deeds or things and subject to such powers and restrictions as it may think fit, and such Committees or Sub-Committees shall be under the direct supervision and control of the Board of Trustees and the Board of Trustees may dissolve such Committees or Sub-Committees From time to time.

(p) Agents & Attorneys :

To appoint, employ and remove any Agent or Attorney for the furtherance of the objects of the Trust;

(q) Employees :

To appoint, employ, suspend and remove Secretaries, Officers, Clerks, Servants and Employees on such terms and conditions as it may think fit;

(r) Bank Account :

To open, maintain and close in the Divine Educational Trust a savings/current bank account with any scheduled bank and the same shall be operated by such person/persons and in such manner as may be decided from time to time by the Board of Trustees ;

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 083577

(14)

(l) Appointment of New Trustees :

To appoint able, devoted and deserving persons dedicated to the objects of the Trust as Trustees.

(m) Resignation by Trustees :

To consider and, if deemed fit, to accept resignation tendered in writing by any of the Trustees.

(n) Removal of Trustees :

To consider and if deemed fit, to remove, in its absolute and uncontrolled discretion, any trustee from the office of the Trusteeship if the removal of such a Trustee is considered to be in the interest of the Trust by the Board of Trustees .

(o) Committees :

To appoint Committees and Sub-Committees consisting of one or more Trustees with such other social workers and persons to carry out such acts,



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

BL 083581

6. **MANAGING TRUSTEE :**

(a) That Shri Sant Narayan Singh shall be the first Managing Trustee and he shall continue to be the Managing Trustee of this trust for his life time. He shall be empowered to nominate Tej Pratap Singh as his successor to work as Managing Trustee after his lifetime.

(b) The Managing Trustee shall have the power and duty to supervise the activities of the Trust and shall be the supreme authority of the Trust.

7. **TRUSTEES**

(a) **Board of Trustees :**

That the Board of Trustees shall mean and include the first Trustees of these presents survivor or survivors of them and the Trustees for the time-being of these presents.

(b) **Number of Trustees :**

That the minimum number of the trustees shall be 3(three) and the maximum number of the Trustees shall be 7(seven).

(Signature)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

BN 368285

Home) (iii) Vriddha Ashram (Home for elderly people) (iv) Arogya Ashram (Convalescent Home) (v) Ashakta Ashram (Infirmary) (vi) Anatha-Ashram (Orphanage) (vii) Bhikshu Griha(Begger's Home) (viii) Gaushala (Home for Cows) (ix) Pausara (Drinking Water Hut).

(d) To establish, maintain and support or help Schools, Inter Colleges, Colleges, Medical Colleges, Research Institutions, Libraries, Laboratories, Hostels or any other institutions and facilities for imparting and promoting education in any branch of Knowledge.

(e) To provide Scholarships, books etc. to poor, needy and meritorious students.

(f) To conduct, sponsor and organise lectures, meetings, conferences, seminars, Symposiums, training camps, courses, exhibitions, fairs, competitions and/or such other programmes and activities for diffusion of Knowledge.



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

BL 083584

(m) To publish and distribute healthy and useful literature for spiritual and moral Upliftment of public at large.

(n) To do in furtherance of the intention of the Settlor any charitable or benevolent work or any act of General Public Utility but not involving carrying on of any activity for profit whether or not the same is specified or enumerated or illustrated hereinabove.

(a) Collection of Income :

(o) To carry out all or any of the aforesaid objects without any distinction of colour, caste, community, creed, religions, race or sex in any part of India or the world either as principal or through agents or in collaboration with Universities, Municipalities, District Board, Central and State Government, religious or charitable or philanthropic trusts, institutions or organisation or otherwise.

(p) To pay over such part of the Income as the Trustees may deem fit to any institution(s) or organisation(s) for carrying out any one or more of the objects mentioned hereinabove.

(Signature)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

भारत



INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

BL 083582

(c) Appropriation :

That the appropriation of the income or corpus of the Trust towards any one or more of the objects mentioned hereinabove shall be made by the Board of Trustees from time to time.

(d) Utilisation of Income/Corpus :

That the Board of Trustees shall be at liberty to utilise the income and/or the Corpus of the Trust for **ANY ONE OR MORE** of the objects as aforesaid and in such proportion as they may, in their absolute discretion, think fit.

(e) Accumulation :

If the income, inclusive of donations and contributions of a particular year, is not fully utilised for any one or more of the aforesaid objects, the Board of Trustees shall be entailed to accumulate and to carry forward the unexpended income to the next year or years.

(Signature)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

BN 368289

3. NAME

That the Trust shall be known as **Divine Educational Trust**. (hereinafter for the sake of brevity referred to as the "TRUST") and its Principal Office shall be situated in the State of **Uttar Pradesh** at **Bharthara, Lakhamipur Road, Lakhmipur, Lohta, Varanasi**.

4. OBJECTS

That the objects for which the Trust is Founded are :-

- (a) To form a nucleus of Universal Brotherhood of Humanity.
- (b) To carry on Charitable and Benevolent activities and projects including relief of poor, education, medical relief, rural development and advancement of any other object of general public utility not involving the carrying on of any activity for profit.
- (c) To establish, maintain and support or help Charitable Institutions and activities of any kind including (i) Anna Kshetra (Free Kitchen) (ii) Pathika Ashram (Pilgrim's

(Signature)



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 368284

(6)

- (g) To establish, maintain and support or help hospitals, dispensaries, clinics, Maternity home, nursing homes, health centres, medical colleges, research institutions, blood banks, eye banks, ambulance division, mobile dispensaries and any other kind of medical aid.
- (h) To organise Relief works in times of flood, famine, fire, cyclone, earthquake, epidemic, Riot, disaster or natural calamity of any kind.
- (i) To organise relief camps and activities for needy, indigent, sick, disabled and distressed people.
- (j) To render Financial assistance to needy people for marriage of their daughters or on other occasions.
- (k) To help in preserving and renovating old schools, hospitals, places of devotion and worship etc. as well as to provide means of support for their daily maintenance.
- (l) To establish or help in establishing institutions for the treatment and shelter of Animals.

(Signature)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 368302

(2)

- hereinafter for the sake of brevity referred to as the "FIRST TRUSTEES".

AND WHEREAS the Settlor had always a keen and earnest desire for creating a Educational Trust for benefits of humanity at large and craving to serve the mankind without any distinction of colour, caste, community, creed, religion, race or sex.

AND WHEREAS the Settlor is possessed of and otherwise well and sufficiently entitled to the sum of Rs. 11000 (Rupees Eleven Thousand only). *There is no any movable and immovable property in the name of Trust.*

AND WHEREAS out of philanthropic, benevolent and other good, pious and noble causes moving him, the Settlor is desirous of settling the said money upon the trusts and subject to the powers and provisions hereinafter contained of and concerning the same.

AND WHEREAS the FIRST TRUSTEES have agreed to become the First Trustees of these presents as is testified by their being parties to and executing these presents.

[Signature]



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 368301

(3)

AND WHEREAS the said sum of Rs. 11000 (Rupees Eleven Thousand only). has, in anticipation of these presents, been already transferred, paid and handed over to the first trustees in cash before the execution of these presents.

NOW, THIS INDENTURE OF TRUST RECORDS AND WITNESSES AS FOLLOWS:-

1. DELIVERY OF TRUST FUND

That for effectuating the said desire and in consideration of the premises, the settlor does hereby declare that he has, prior to the execution of these presents, paid, assigned, handed over and transferred unto the First Trustees they said sum of Rs.11000 (Rupees Eleven Thousand only).in cash the receipt whereof the First Trustees do and each of them does hereby admit and acknowledge.

2. POSSESSION OF TRUST PROPERTY

That the Settlor does hereby direct and the First Trustees do hereby declare that they, the First Trustees, shall hold and stand possessed of the said sum of Rs.11000 (Rupees Eleven Thousand only) hereinafter for the sake of brevity referred to as the "TRUST FUND" (which expression shall also include cash and any other property and investments of any kind which may be acquired by the Trust from time to time).